



Neutral Citation No. - 2026:AHC:9179

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 41687 वर्ष 2025

सिकन्दर राम

.....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता : अभिषेक श्रीवास्तव

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 68

माननीय न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री अभिषेक श्रीवास्तव और राज्य-प्रत्यर्थीगण की ओर से श्री एस.के. राय, विद्वान एजीए-प्रथम को सुना और रिकॉर्ड का अवलोकन किया।

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 483 के अंतर्गत प्रस्तुत यह जमानत प्रार्थना पत्र अभियुक्त-आवेदक सिकन्दर राम की ओर से दाखिल किया गया है, जिसमें मुकदमा अपराध संख्या 92/2025, धारा 3/5-क/8/5-ख, उत्तर प्रदेश गोवध निवारण अधिनियम, 1955 तथा धारा 11, पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960, थाना- कंदवा, जनपद- चन्दौली में उसे जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना की गई है।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि आरोपी-आवेदक निर्दोष है और इस प्रकरण में अपराध संख्या में गलत तरीके से फंसाया गया है। आवेदक 18.10.2025 से जेल में बंद है। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने 9 जीवित संतानों के कथित वाहन से दिखाई गई वसूली प्रस्तुत की। आवेदक के कब्जे से न तो कोई गोमांस और न ही कोई अन्य आपत्तिजनक सामग्री बरामद की गई है। उपरोक्त बरामदगी का कोई स्वतंत्र गवाह नहीं है। आवेदक के पास दो प्रकरण की आपराधिक पृष्ठभूमि है जिसे ठीक से समझाया गया है और जमानत पर रिहाई के प्रकरण में

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



उसके न्याय के रास्ते से भागने या सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने की कोई संभावना नहीं है।
इसलिए जमानत की मांग की गई है।

विद्वान एजीए ने जोरदार विरोध किया है, लेकिन उपरोक्त तथ्यों पर विवाद नहीं कर सके।

उन सभी तथ्यों और परिस्थितियों, आरोपों की प्रकृति, दोषसिद्धि के प्रकरण में सजा की गंभीरता और सहायक साक्ष्य की प्रकृति, गवाह के साथ छेड़छाड़ की उचित आशंका और प्रथम दृष्टया प्रकरण को ध्यान में रखते हुए, लेकिन प्रकरण के गुण-दोष पर टिप्पणी किए बिना, जमानत के लिए एक प्रकरण बनाया जाता है।

तदनुसार, जमानत आवेदन स्वीकृत किया जाता है।

अभियुक्त-आवेदक **सिकन्दर राम**, जो उपर्युक्त उल्लिखित मुकदमा अपराध संख्या में सम्मिलित है, को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अधीन समान धनराशि के व्यक्तिगत बंधपत्र तथा दो विश्वसनीय प्रतिभूतियाँ प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए :

1. आवेदक सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।
2. आवेदक किसी भी आपराधिक गतिविधि में शामिल नहीं होगा।
3. आवेदक अभियोजन पक्ष के गवाहों पर दबाव नहीं डालेगा/न ही डरायेगा और मुकदमे में सहयोग करेगा।
4. आवेदक विचारण न्यायालय द्वारा निर्धारित प्रत्येक तारीख पर नियमित रूप से उपस्थित होगा, जब तक कि संबंधित न्यायालय द्वारा अधिवक्ता के माध्यम से उनकी व्यक्तिगत उपस्थिति को छूट नहीं दी जाती है।

उपरोक्त शर्तों में से किसी के उल्लंघन की स्थिति में, अवर न्यायालय उसकी जमानत रद्द करने के लिए आगे बढ़ने के लिए स्वतंत्र होगी।

(न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव)

14 जनवरी, 2026

दीपक/